15/03/24 रेस्पो. अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में रेस्पो. स. 01 मानसिंह का देहान्त अपील से पूर्व ही हो चुका है। अपीलांट ने उक्त अपील मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत की है एवं मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट की ओर से साक्ष्य में मृत्यु प्रमाण पत्र पूर्व मे प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अपीलांट व रेस्पोडेन्ट परस्पर भाई है और आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा किया है। इस कारण भी उक्त अपील सहमति से हुए निर्णय के विरूद्ध चल नहीं सकती है। अतः उक्त अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसे खारिज फरमाई जावे।

रेस्पो के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। रेस्पो. द्वारा मानसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पो. मानसिंह उक्त अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही मर चुका है। ऐसी परिस्थितियों में मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। अतः मृतक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

प्राधिकारी
पाली